विभाग द्वारा संचालित प्रमुख कार्यक्रम निम्नवत् है :–

शैक्षिक संबंधी

1. छात्रवृत्ति योजना

निर्बल वर्गो का शैक्षिक विकास ही उनके सर्वागींण विकास की कुंजी है। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए अनुसूचित जाति/जनजाति के कक्षा 1 से 10 तक के विद्यार्थियों के लिए पूर्वदशम योजना तथा कक्षा 10 से ऊपर की कक्षाओं एवं व्यवसायिक पाठ्क्रमों में अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं को दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति एवं इंजीनियरिंग कालेज, मेडिकल कालेज तथा प्रबन्धन संस्थाओं एवं विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के छात्रों की फीस उनके विद्यालयों/संस्थाओं को सीधे विभाग द्वारा शुल्क की प्रति पूर्ति किये जाने की योजना संचालित की जा रही है।

(क) पूर्वदशम अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति योजना –

प्रदेश सरकार द्वारा कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत समस्त अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को देय छात्रवृत्ति के लिए पात्रता की कोई आय–सीमा प्रतिबंधित नही है। समस्त योजना राज्य वित्त पोषित है।

(ख) पूर्वदशम सामान्य वर्ग छात्रवृत्ति योजना –

गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सामान्य वर्ग के अभिभावकों, जिनकी वार्षिक आय प्रति परिवार रू0 19884/– (ग्रामीण क्षेत्र) तथा रू0 25546/– (शहरी क्षेत्र) हो, को उपर्युक्त दर पर कक्षा 1 से 10 तक के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। समस्त योजना राज्य वित्त पोषित है।

(ग) दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं प्रवेश शुल्क प्रतिपूर्ति योजना –

कक्षा 10 के ऊपर की कक्षाओं में अध्ययनरत् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग के मेधावी छात्रों जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय सीमा रू0 1,00,000/– तक के हैं को दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई जाती है। वर्ष 2007 अर्थात 10वीं पंचवर्षीय योजना से प्रारम्भ यह योजना भारत सरकार द्वारा 100 प्रतिशत वित्त पोषित है। अब 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में 2006–07 के अन्त तक व्ययभार राज्य सरकार का है व 2007–08 से केन्द्र सरकार का है।

सामाजिक सम्बन्धीः–

2– राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय –

यह योजना 1960–1970 दशक के मध्य में प्रारम्भ हुई थी । इन विद्यालयों में अत्यन्त निर्धन परिवार जो अपने बच्चों की न्यूनतम आवश्यकता पूरी नहीं कर पाते, के बच्चों को प्रवेश दिया जाता है। विद्यालय में बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, आवास, वस्त्र एवं भोजन आदि की सुविधायें प्रदान की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 47 जनपद आच्छादित हैं। प्रदेश में कुल 80 विद्यालय स्वीकृत है जिनमें से 57 संचालित हैं जिनकी कुल स्वीकृत प्रवेश क्षमता 26,525 है। सभी विद्यालयों को कक्षा 12 तक माह अक्टूबर, 2008 में उच्चीकृत करते हुए मान्यता दी गयी है। शेष 23 विद्यालय निर्माणाधीन हैं।

3– अनुसूचित जाति छात्रावास निमार्ण योजना –

प्रदेश में अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं के अध्ययन के दौरान आवासीय समस्या के निराकरण हेतु छात्रावासों का निमार्ण कराया जाता है।

अनुसूचित जाति के छात्र–छात्राओं के आवासीय समस्या के दृष्टिगत कुल 252 छात्रावास स्वीकृत हैं जिसमें से 168 छात्रावास निर्मित हो चुके हैं। निर्मित छात्रावासों के सापेक्ष 168 छात्रावास संचालित है जिनमें 141 छात्रावास छात्रों के लिए तथा 27 छात्रावास छात्राओं के लिए हैं। 52 छात्रावासों को साज–सज्जा सहित 31.03.2009 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। 32 छात्रावास निर्माणाधीन हैं।

4–(क) राज्य उच्चस्तरीय सेवाओं हेतु परीक्षा पूर्व कोचिंग केन्द्र योजना –

अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए छत्रपति शाहू जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, भागीदारी भवन, लखनऊ, द्वारा कोचिंग की सुविधा प्रदान की जा रही है।

(ख) सामान्य वर्ग के निर्धन परिवार के मेधावी बच्चों को निजी क्षेत्र की उत्कृष्ट कोटि की कोचिंग संस्थाओं के माध्यम से परीक्षा पूर्व कोचिंग की सुविधा भी प्रदान की जा रही है।

5– मेरिट उच्चीकृत योजना –

यह योजना शत–प्रतिशत केन्द्र वित्त पोषित है जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों को कक्षा 9 से 12 तक विशेष कोचिंग प्रदान की जाती है।

यह योजना प्रदेश के 6 राजकीय इण्टर कालेजों (इलाहाबाद, लखनऊ, गोरखपुर, झांसी, मुरादाबाद एवं आगरा) में संचालित है। इसके अन्तर्गत कक्षा 9 व 10 में रेमेडियल कोचिंग तथा कक्षा 11 व 12 में व्यवसायिक पाठ्क्रमों में विशेष कोचिंग की व्यवस्था है।

6— प्रदेश के अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु विभाग द्वारा राजकीय औद्योगिक आस्थानों का संचालन

प्रदेश में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को शहरी क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने हेतु विभाग द्वारा 9 जनपदों—1—रामपुर 2—गाजीपुर 3—फतेहपुर 4—हरदोई 5—रानोपाली(फैजाबाद) 6—कालपी(जालौन) 7—मुजफ्फरनगर 8—रामनगर (वाराणसी) एवं 9—बदायूँ में औद्योगिक आस्थान संचालित हैं।

7— वृद्धावस्था पेंशन योजना :—

योजनान्तर्गत बी0पी0एल0 परिवार सूची 2002 में सम्मिलित परिवारों के 60 वर्ष से अधिक आयु के समस्त वृद्धजनों को रू0 300/— प्रतिमाह पेंशन दिये जाने की व्यवस्था है जिसमें कि वर्ष 60—65 वर्ष के वृद्धजनों को राज्य सरकार 100 प्रतिशत वित्त पोषित करती है एवं 65 वर्ष के ऊपर 2/3 केन्द्र सरकार व 1/3 राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषण होता है।

8— राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना :—

इस योजनान्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के मुख्य जीविकोपार्जक सदस्य जिसकी आयु 18 वर्ष से 64 वर्ष के मध्य हो की मृत्यु हो जाने पर रू0 20,000/— की एकमुश्त सहायता दिये जाने की व्यवस्था है।

9— अत्याचार उत्पीड़न योजना :—

विभिन्न प्रकार की घटनाओं/अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों को अत्याचार की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए न्यूनतम रू0 15,000.00 से अधिकतम रू0 2,00,000.00 तक की आर्थिक सहायता विभिन्न चरणों मे दिये जाने की व्यवस्था है। अत्याचार उत्पीड़न के विभिन्न मामलों में देय आर्थिक सहायता की दरें शासनादेश दिनांक 17—10—1995 द्वारा निर्धारित है।

10— शादी/बीमारी अनुदान योजना

यह योजना वर्ष 1982—83 से प्रारम्भ की गयी थी। इस योजना के अन्तर्गत गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को लाभान्वित किया जाता है। गरीबी की रेखा शहरी क्षेत्र के निवासियों के लिए रू0 25546.00 वार्षिक आय तथा ग्रामीण क्षेत्र में रहने वालों के लिए रू0 19884.00 वार्षिक आय के मानक से नापी जाती है। इस योजना के अन्तर्गत शादी हेतु बुन्देलखण्ड क्षेत्र में रू0 20,000.00 तथा अन्य क्षेत्रों में रू0 10,000.00 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसी योजना के अन्तर्गत बीमारी के लिए गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों के लिए रू0 5,000.00 की आर्थिक सहायता दी जाती है।

आर्थिक सम्बन्धी

11–समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित निःशुल्क बोरिंग योजना :–

निःशुल्क बोरिंग योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति गरीबी की रेखा के नीचे मैदानी क्षेत्र में निवास करने वाले लघु एवं सीमान्त कृषकों के खेतों में बोरिंग कराई जाती है।

(वित्तीय/भौतिक प्रगति : परिशिष्ट – 6 क)

समाज कल्याण विभाग से संबंधित योजनाओं के संबंध में संक्षिप्त टिप्पणी

छात्रवृत्ति योजना :–

प्रदेश में पूर्वदशम् एवं दशमोत्तर छात्रों को छात्रवृत्ति देने हेतु वित्तीय वर्ष 2008–09 में रु0 1423.02 करोड़ का बजट प्राविधान है जिसके सापेक्ष रु0 1324.00 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की जा चकी है । अवमुक्त रु0 1324.00 करोड़ की धनराशि में से रु0 636.00 करोड़ छात्रवृत्ति हेतु तथा रु0 514.00 करोड़ विद्यालयों को शुल्क प्रतिपूर्ति मद में दी जा चुकी है । रु0 636.00 करोड छात्रवृत्ति मद के सापेक्ष अब तक रु0 585.51 करोड़ खातों में हस्तान्तरित हो चुकी है तथा रु0 568.88 करोड़ से 1.26 करोड़ छात्रों में वितरित की जा चुकी है जोकि 90 प्रतिशत से अधिक है। गत वर्ष माह नवम्बर, 2007 के अन्त तक कुल रू0 136.00 करोड़ वितरित किया गया था। गत वर्ष कुल 136 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति वितरित की गयी थी। योजनावार विवरण निम्नवत है :–

(धनराशि लाख रु0 में)

छात्रवृत्ति योजना का नाम		जनपदों में उपलब्ध धनराशि	खातों में स्थानान्तरित धनराशि	छात्रों को वितरित धनराशि	वितरण का प्रतिशत	लाभार्थी छात्रों की संख्या
पूर्व दशम्	अनुसूचित जाति	32760.22	31404.55	30339.10	92.61	8617967
	सामान्य वर्ग	13323.68	12486.52	12027.88	90.27	3196755
	योग	**46083.90**	**43891.07**	**42366.98**	**91.93**	**11814722**
दशमोत्तर	अनुसूचित जाति	9412.21	7771.59	7682.83	81.63	442433
	सामान्य वर्ग	8184.02	6888.57	6838.30	83.56	398125
	योग	**17596.23**	**14660.16**	**14521.13**	**82.52**	**840558**
कुल योग		**63680.13**	**58551.23**	**56888.11**	**89.33**	**12655280**

शुल्क प्रतिपूर्ति मद में अब तक रू0 105.79 करोड़ की प्रतिपूर्ति वितरित की जा चुकी है।

वृद्धावस्था पेंशन :–

इस योजना में वित्तीय वर्ष 2008–09 में रू0 1451.15 करोड़ की बजट व्यवस्था है जिसके सापेक्ष अब तक रू. 1451.15 करोड़ की धनराशि जनपदों को अवमुक्त की जा चुकी है। अब तक अवमुक्त धनराशि में से रू.0 915.06 करोड़ वृद्धावस्था पेंशन के रूप मे बांटी जा चुकी है। अब तक 38,19,908 लोगों को वृद्धावस्था पेंशन दी जा चुकी है। इस वर्ष प्रदेश का लक्ष्य 42,12,223 है । वृद्धावस्था पेंशन दो किश्तों में बाटने का प्राविधान है। अप्रैल से सितम्बर तक की पहली किश्त बांटी जा चुकी है। अक्टूबर से मार्च की दूसरी किश्त बांटी जा रही है। वृद्धावस्था पेंशन 30 नवम्बर, तक शत–प्रतिशत करने का लक्ष्य है। वृद्धावस्था पेंशन में अवशेष लाभार्थी नये हैं जिनकी पेंशन स्वीकृति की प्रक्रिया चल रही है। इस वर्ष लगभग 13 लाख नये पेंशनरों को लाभान्वित किया जा चुका है।

पारिवारिक लाभ योजना :–

इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु रू0 78.00 करोड़ की व्यवस्था है। पूरी धनराशि जनपदों को अवमुक्त की जा चुकी है। इस योजना में अब तक 47,713 लाभार्थियों को लाभान्वित करते हुए रू0 93.71 करोड़ की धनराशि वितरित की जा चुकी है। इस वितरित धनराशि में बढ़ी हुई धनराशि टी0आर0–27 से आहरित की गयी है। इसके अतिरिक्त अभी रू0 65.00 करोड़ की और मांग है।

शादी/बीमारी योजना :–

इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु रू0 95.00 करोड़ की व्यवस्था है। इसके सापेक्ष अब तक रू0 83.00 करोड़ जनपदों को आवंटित किया जा चुका है। इस योजना में अब तक 49,555 लाभार्थियों को रू0 55.00 करोड़ की धनराशि वितरित की जा चुकी है।

अत्याचार उत्पीड़न योजना :–

इस मद में वित्तीय वर्ष 2008–09 के लिए रू0 19.01 करोड़ की बजट व्यवस्था है जिसके सापेक्ष रू0 1.16 करोड़ की धनराशि व्यय करके 5,604 लोगों को सहायता दी जा चुकी है।